# व् अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0–02/2020–21
अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट
बनाम्
शोले मरण्डी एवं अन्य

11/7/2020

—: आदेश :—

अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट ने अपने पत्रांक–153/रा0, दिनांक–18/03/2020 से जॉच–प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त जॉच–प्रतिवेदन में श्री रीतु राज, सहायक समाहर्त्ता, गोड्डा का भी मंतव्य अंकित है। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा–परसोती, थाना नं0–49, आनाबादी खाता नं0–86, दाग नं0–2647, रकवा–21–12–00 धुर जमीन किस्म–परती कदीम कहकर दर्ज है। उक्त दाग नं0–2647 के अंतर्गत (1) शोले मरण्डी, पे0–दरबारी मरण्डी को रकवा–01.25 एकड़ (2) सुकदेव सोरेन, पे0–चरण सोरेन को रकवा–01.25 एकड़ (3) मारांग मरण्डी, पे0–भवान मरण्डी को 1.00 एकड़ (4) अनन्त सोरेन, पे0–दरबान सोरेन को 01.25 एकड़ (5) शिवलाल सोरेन, पे0–पैरू सोरेन को रकवा–01.00 एकड़ (6) मास्टर सोरेन, पे0–शिवलाल सोरेन को रकवा–01.00 एकड़ (7) भोला किस्कू, पे0–देवान किस्कू को रकवा–01.00 एकड़ भूमि कुल 7.75 (सात एकड़ पचहत्तर डिसमल) भूमि को सात व्यक्तियों के साथ पट्टा द्वारा बंदोवस्ती की गई है। परन्तु जोत आबाद नहीं होता है। भूमि परती है। प्रस्तावित भूमि पर परसोती स्टेडियम बनाया गया है।

कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए विपक्षीगण को नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षीगण न तो उपस्थित हुए और न ही कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण को कुछ नहीं कहना है।

अतः अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 33 के तहत् विपक्षीगण के साथ मौजा–परसोती, थाना नं0–49, खाता नं0–86, दाग नं0–2647, रकवा–7.75 (सात एकड पचहत्तर डिसमल) भूमि की बंदोवस्ती रद्द किया जाता है। पंजी–II में सुधार हेतु आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।